आर.एन.आर.

उजागर सिंह,जे कि समक्ष

रोशन लाल,-अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, प्रतिवादी।

1985 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 370.

22 मई, 1987।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII) - 1976 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा संशोधित - धारा 16(1)(ए)(i) और 16-ए - दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) धारा 262 से 265 - धारा 16(1) के तहत अपराध का संक्षिप्त परीक्षण ट्रिक 16(1) धारा 16-ए के तहत मामलों की संक्षेप में सुनवाई करने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति - नियमित परीक्षण में आरोपी को दोषी ठहराया गया - नियमित परीक्षण - क्या धारा 16-ए के मद्देनजर दोषपूर्ण है अधिनियम।

अधिकृत किया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की धारा 16-ए के प्रयोजन के लिए धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत अपराध की सुनवाई के लिए सारांश परीक्षण की शक्तियां दी गई हैं। ट्रायल कोर्ट ने कहा था आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 में दिए गए अनुसार संक्षिप्त सुनवाई द्वारा मामले की सुनवाई

करने की शक्ति प्रदान की गई है और इस प्रकार मुकदमा निष्प्रभावी हो गया है। चूंकि बूरा का नमूना वर्ष 1980 में लिया गया था और शिकायत 1981 में दायर की गई थी और ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 1984 में निर्णय लिया गया था, परीक्षण, अपील और इस संशोधन में लगभग 6 साल लग गए हैं, यह न्याय के हित में नहीं होगा। इस मामले को रिमांड पर लें. पुनरीक्षण की अनुमति. (पैरा 9).

श्री आर.डी. अनेजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के 6 मार्च, 1985 के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका, जिसमें श्री एस.एस. सिंह दहिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव के 22 मार्च, 1984 के आदेश की पुष्टि की गई है; याचिकाकर्ता को दोषी ठहराना और सजा देना।

आरोप और सजा:-आर.आई. छह माह की सजा और 100 रुपये जुर्माना 1.000. जुर्माने का भुगतान न करने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16(1)(ए)(i) के तहत तीन महीने के लिए अतिरिक्त आरआई.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहिंदर सिंगला के साथ अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल।

जी.एस.बावा. वकील। प्रतिवादी के लिए.

उजागर सिंह जे

निर्णय

(1) 11 दिसंबर, 1980 को खाद्य निरीक्षक सतपाल मलिक, डॉ. आर.के. शर्मा, तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), गुड़गांव के साथ याचिकाकर्ता के व्यावसायिक परिसर में आए और पूर्व को नोटिस दिया। उसकी पहचान उजागर करने के बाद पी.ए. इसके बाद खाद्य निरीक्षक ने वहां पड़ी दो बोरियों में से एक बोरी से 600 ग्राम बूरा खरीदा। इन बोरियों में प्रत्येक में 90 किलो बूरा था। रुपये का भुगतान. खाद्य निरीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता को रसीद पूर्व के माध्यम से 3.60 पैसे का भुगतान किया गया। विश्लेषण के उद्देश्य से पी.बी. मेमो एक्स के अनुसार, नमूने को 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया और नमूना बोतलों में बनाया गया। पीसी जिसे वहां के फूड आई इंस्पेक्टर द्वारा संबद्ध एक स्वतंत्र गवाह राम प्रकाश द्वारा सत्यापित किया गया था।

(2) सीलबंद बोतलों में से एक को सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था

रिपोर्ट पूर्व. पीसी प्राप्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, सैंपल अधिकतम निर्धारित मानक 70 पीपीएम के मुकाबले इसमें 437 पीपीएम (प्रति मिलियन भाग) सल्फर-डाइऑक्साइड था। खाद्य निरीक्षक ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ फर्म के खिलाफ भी यह शिकायत दर्ज की।

(3) अभियोजन शुरू करने की सूचना और याचिकाकर्ता को निदेशक, केंद्रीय, खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद से नमूने का विश्लेषण कराने का अधिकार, दिनांक 26 फरवरी, 1981 के पत्र द्वारा दिया गया था। पीएफ.

(4) अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1 के रूप में खाद्य निरीक्षक सतपाल मलिक से पूछताछ की और उनकी जांच करने के बाद, खाद्य अपमिश्रण निवारण की धारा 16(1)(ए)(आई) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किया गया। अधिनियम, 1954 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)। याचिकाकर्ता ने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया।

(5) आरोप तय होने के बाद, खाद्य निरीक्षक सतपाल मलिक (पीडब्लू1) को आगे की जिरह के लिए वापस बुलाया गया और अभियोजन पक्ष ने उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कार्यालय से बिक्री कर सहायक ओम प्रकाश (पीडब्लू2) को पेश किया; डॉ. आर.के. शर्मा (पीडब्लू3) और राम प्रकाश वासन (पीडब्लू4)। अभियोजन का मामला बंद होने के बाद, याचिकाकर्ता से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई और उसे अपना बचाव पेश करने का अवसर दिया गया, लेकिन बचाव में कोई गवाह पेश नहीं किया गया।

(6) अंततः, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता उक्त धारा के तहत दोषी था और उसे इसके तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। 1,000 रुपये और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। ट्रायल कोर्ट ने, ओम प्रकाश (पीडब्ल्यू 2) के इस बयान के मद्देनजर कि फर्म याचिकाकर्ता की एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी थी, फर्म, मेसर्स रामेश्वर दास हरि राम पर कोई अलग सजा नहीं दी।

(7) याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिस पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की और दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए 6 मार्च, 1985 को खारिज कर दिया।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 1976 के संशोधित अधिनियम 34 द्वारा अधिनियम में धारा 16-ए जोड़े जाने के बाद, जो 1 अप्रैल 1976 से लागू हुआ, मुकदमा केवल सारांश रूप में ही आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने बुध राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1) में हमारी अपनी पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें धारा 16-ए के प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है और इसलिए, इस मामले में मुकदमा ख़राब हो गया है। अधिनियम की धारा 16-ए को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"16-ए। मामलों की संक्षेप में सुनवाई करने की अदालत की शक्ति। - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी भी बात के बावजूद, धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत सभी अपराधों की सुनवाई की जाएगी राज्य सरकार या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सारांशित तरीके से और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधानों को, जहां तक संभव हो, लागू किया जाएगा। ऐसे परीक्षण पर लागू करें:

बशर्ते कि इस धारा के तहत संक्षिप्त मुकदमे में किसी भी दोषसिद्धि के मामले में, मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पारित करना वैध होगा:

बशर्ते कि जब इस धारा के तहत संक्षिप्त सुनवाई शुरू होती है या उसके दौरान, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है पारित किया जाना है या किसी अन्य कारण से, मामले की संक्षेप में सुनवाई करना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट पक्षों को सुनने के बाद, उस आशय का एक आदेश दर्ज करेगा और उसके बाद किसी भी गवाह को वापस बुलाएगा, जिसकी जांच की गई हो और सुनवाई या दोबारा सुनवाई के लिए आगे बढ़े। उक्त संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामला।"

(9) अतिरिक्त धारा 16-ए की आवश्यकता के अनुसार, हरियाणा राज्य ने अधिसूचना संख्या 4201-4एचबीआईआई-77/32799, दिनांक 20 अक्टूबर, 1977 जारी की और उस अधिसूचना में सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सारांश परीक्षण की शक्तियां दी गईं। इस धारा का उद्देश्य अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के तहत अपराध का मुकदमा चलाना है। इस प्रावधान के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट के पास उक्त अधिसूचना के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत इस मामले की सुनवाई सारांश परीक्षण द्वारा करने की शक्ति थी। इस प्रकार, मुकदमा ख़राब हो गया है। इस मामले में, बूरा का नमूना 11 दिसंबर, 1980 को लिया गया था और शिकायत 25 फरवरी, 1981 को दायर की गई थी और ट्रायल कोर्ट द्वारा 22 मार्च, 1983 को फैसला किया गया था। अपील दायर की गई थी और उसके बाद 6 मार्च, 1985 को फैसला सुनाया गया था। यह पुनरीक्षण 11 मार्च, 1985 को दायर किया गया था। इसे 15 मार्च, 1985 को स्वीकार किया गया था।

(10) उपरोक्त तिथियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 11 दिसंबर, 1980 से आज तक इस मामले में मुकदमे और उसके बाद की कार्यवाही की पीड़ा झेली है, जो लगभग 6 साल है। ऐसी स्थिति में, कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय के हित में नहीं होगा। बल्कि, यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता को 64 वर्षों की अवधि तक उत्पीड़न सहना पड़ा है और इसलिए, मैं इस पुनरीक्षण की अनुमति दूंगा।

(11) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह संशोधन स्वीकार किया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा